

# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल I.A.S.

प्रकरण संख्या - 74/2018 (अपील)

रामा पुत्र श्री हाथी जाति गुर्जर निवासी आंवली कबीर आश्रम के पास, तहसील लाडपुरा थाना आर.के. पुरम, जिला कोटा (राज0)

---अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा कोटा

---रेस्पोडेन्ट



उपस्थिति


श्री असलम अंसारी, अभिभाषक अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 20.01.2017 मि0नं0 47/2016 न्यायालय सहायक वन संरक्षक कोटा कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

निर्णय

दिनांक:-25.06.2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक कोटा, वन मण्डल कोटा ने रिपोर्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा के आधार पर ग्राम दौलतगंज तहसील लाडपुरा की भूमि खसरा नम्बर 273 की 0.01 हे0 वन भूमि पर कब्जा कर पक्का मकान बना रखा है। मैं अतिक्रमण की धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत प्रकरण संख्या 47/2016 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाने एवं 1100/- रुपये की शास्ति व 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 20.01.2017 को निर्णय पारित किया है।
2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 26.10.2018 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम दौलतगंज तहसील लाडपुरा की खसरा नं0 273 की 0.01 हे0 किस्म वन भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा मानते हुये बेदखली व 1100/- शास्ति व 15 दिवस के सिविल कारावास का आदेश पारित गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय आधार पर निर्णय जैर अपील प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस नहीं दिया गया है। विवादित आराजी से अपीलान्ट ने कब्जा छोड़ दिया है तथा तावान जमा करवा दिया है तथा भविष्य में भी वह उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना ही प्रदान किया है। जिसका सर्व प्रथम ज्ञान दिनांक 25.10.

  
जिला कलेक्टर  
कोटा

2018 को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी वारन्ट लेकर आने तथा उनके द्वारा बताने पर हुई । उक्त प्रकार जानकारी होने पर दिनांक 25.10.2018 को नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 25.10.2018 को नकल मिली, नकल प्राप्त कर अपीलान्त रूपये का इंतजाम कर यह अपील पेश कर रहा है । जो कि सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 25.10.2018 से होने के कारण आदेश दिनांक 20.1.2017 से जानकारी की दिनांक 25.10.2018 तक के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । रेस्पोजेन्ट अनुपस्थित रहने से वकील अपीलान्त की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय आधार पर निर्णय जैर अपील प्रदान किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को धारा 91 जैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस नहीं दिया गया है । विवादित आराजी से अपीलान्त ने कब्जा छोड़ दिया है तथा तावान जमा करवा दिया है तथा भविष्य में भी वह उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगा । अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील अपीलान्त को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना ही प्रदान किया है ।
5. हमने बहस वकील अपीलान्त पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया । अपीलान्त यह सिद्ध नहीं कर पाया कि उसने विवादित भूमि ग्राम दौलतगंज तहसील लाडपुरा ख0न0 273 रकबा 0.01 हे0 वन भूमि पर अपना कब्जा छोड़ दिया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न कोटा ग्राफ्स से एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा के पत्र क्रमांक/एफ /न्याय/सेवअ/2018-19/4021 दिनांक 14.11.2018 से सिद्ध होता है कि अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया है ना ही वन विभाग को संभलाया है । अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने के पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं करने से अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.1.2017 को यथावत रखा जाता है ।
6. निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(मुक्तानन्द अग्रवाल)

जिला कलेक्टर, कोटा